<u>न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा(राज०)</u>

पीठासीन अधिकारीः विनोद कुमार वाजा, आर.जे.एस.

(सेशन जज केडर)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 49 सन 2025 थाना गुलाबपुरा

अपराध धारा 318(4), 316(2) बी.एन.एस.

<u>विविध जमानत आवेदन पत्र सं. 266 सन 2026</u>

श्रीमती आनन्दी पत्नी श्री दिलीप उम्र 33 वर्ष निवासी गांव साकरिया तहसील अटर भिण्ड मध्यप्रदेश, हाल निवासी वीर गुर्जर कॉलोनी गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा(राज०)

--प्रार्थीया/आरोपी

<u>बनाम</u>

राज०राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा(राज०)

----विपक्षी/अभियोगी

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.</u>

<u>उपस्थितः</u>

1- प्रार्थीया/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता भारत खटीक एवं श्री युगल किशोर व्यास

2- विपक्षी/राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक।

<u>:: आदेश ::</u> **<u>दिनांकः 13-08-2026</u>**

प्रार्थीया/आरोपी <u>श्रीमती आनन्दी</u> की ओर से यह **अग्रिम जमानत** प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस थाना <u>गुलाबपुरा</u> के प्रकरण संख्या 49 सन 2026 अपराध धारा 318(4), 316(2) बी.एन.एस. में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया, केस डायरी का ध्यानपूवर्क अवलोकन किया गया।

प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.12.2024 को परिवादिया श्रीमती मंजो द्वारा श्रीमती आनन्दी, दिलीप जाटव, सुरेश कुमार एवं सांवरलाल के विरूद्ध एक परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि अभियुक्ता आनन्दी की एक जायदाद मकान पुख्ता प्लाट नंबर 14 क्षेत्रफल 25x40 फीट आदर्ष वीर गुर्जर कॉलोनी गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में स्थित है, जिसके आराजी नंबर 877 होकर पट्टा 187/18.11.2008 है, जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर पांच कमरे, किच, लेट-बाथ, पानी का होद, नाल व प्रथम तल पर दो कमरे बने हुए है। परिवादिया को मकान की आवश्यकता होने पर अभियुक्त सुरेश कुमार व सांवरलाल जो उसके पति के पूर्व परिचित थे व मकान भूखण्ड खरीदने

बेचने की दलाली का काम करते थे जो उसके व उसके पति के पास आये और सही रेट पर अच्छा मकान होना बताते हुये दो प्रतिशत दलाली पर वाजिब रेट पर सौदा कराने का कहते हुये मकान दिखाने ले गये, मौके पर जाने पर अभियुक्त दिलीप जाटव, आनन्दी जाटव, सुरेश कुमार धंजा व सांवरलाल मिले, जिन्होंने मकान दिखाया व दिलीप जाटव व आनन्दी ने मकान उनका होना व बैंक का कर्जा चूकता नहीं होने से बैचना व दस लाख रूपये साई पेटे देने पर बकाया लोन जमा कराकर बैंक से दस्तावेज लेकर पंजीयन कराने को कहा, जिस पर परिवादिया को मकान पसन्द आने पर 18,00,000/-रुपये में मकान का सौदा तय कर दिनांक 11.09.2023 को 500/-रुपये के स्टाम्प पर एक बेचान इकरारनामा निष्पादित कर सांई पेटे 10,30,000/-रुपये अभियुक्तगण को अदा कर दिये, वक्त निष्पादन इकरारनामा दलाल सुरेश कुमार धंजा व सांवरलाल ने कहा कि उक्त मकान पाक साफ है, कोई समस्या नही है, समस्या होने पर जवाबदारी उनकी होगी, इकरारनामा हो जाने से एक प्रतिशत राशि की मांग करने पर परिवादिया द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार धंजा व सांवरलाल को नौ-नौ हजार रूपये दलाली के अदा कर दिये। इकरारनामे की शर्तानुसार परिवादिया द्वारा कई बार अभियुक्तगण को बैंक से दस्तावेज प्राप्त कर पंजीयन कराने हेतु कहा, किन्तु वे टालमटोल करते रहे और बैंक से दस्तावेज प्राप्त करने के नाम पर 1,50,000/-रुपये और प्राप्त कर लिये एवं इस प्रकार अभियुक्ता आंनदी व उसके पति, सुरेश कुमार धंजा व सांवरलाल ने परिवादिया से मकान के एवज में कुल 11,70,000/-रुपये प्राप्त कर लिये। कुछ समय पूर्व बैंक वालो ने आकर मकान नीलामी का नोटिस चस्पा किया तो यह जानकारी हुई कि अभियुक्ता आंनदी व उसके पति पर लगभग बाईस लाख रुपये का लोन बकाया चल रहा है। जिसका औलम्बा अभियुक्त सुरेश कुमार धंजा व सांवरलाल को देने पर कहा कि आनंदी व दिलीप कही चले गये है जिसका हमें पता नही है, दिलीप को फोन करने पर पंजीयन कराने का आश्वासन दिया। कल दिनांक 04.12.2024 को परिवादिया के पति ने पंजीयन नहीं कराने पर दिलीप से वापिस अपने रुपये मांगे तो रुपये हडप कर जाना बताया। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा आपस में षडयंत्रपूर्वक मिलीभगत करते हुए परिवादिया को नाजायज नुकसान पहुंचाने व पैसा हडप करने की नियत से धोखाधडी करते हुये उक्त इकरारनामा निष्पादित कर 11,70,000/-रूपये हडप लिये। घटना की रिपोर्ट परिवादिया द्वारा थाना गुलाबपुरा व पुलिस अधीक्षक भीलवाडा को जरिये डाक दिये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई,

आदि-आदि। उक्त परिवाद को वास्ते अनुसंधान धारा 175(3)बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस थाना गुलाबपुरा को प्रेषित किया गया, जहां पर मु.नं. 49 सन 2025 अंतर्गत धारा 318(4), 316(2) बी.एन.एस. के तहत पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया, प्रकरण अनुसंधानरत है। जिस पर प्रार्थीया/आरोपी की ओर से यह अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया गया, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थीया/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीया को प्रकरण में गलत व झूंठा फंसाया गया है, आरोपित अपराध से उसका कोई सरोकार नहीं है। परिवादिया व प्रार्थीया/अभियुक्ता के मध्य पैसे की लेन-देन का विक्रय इकरार निष्पादित हुआ था जो सिविल नेचर का मामला होने के बावजूद परिवादिया द्वारा उसे आपराधिक रूप से देकर यह झूंठा मामला दर्ज करा दिया। प्रार्थीया के पति सह अभियुक्त दिलीप की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है, प्रार्थीया के छोटे-छोटे बच्चे है, जिनकी देखरेख करने वाला प्रार्थीया के अलावा और कोई नहीं है, प्रार्थीया के रीढ़ की हड्डी में बीमारी होने से चलने-फिरने में परेशानी होती है एवं ईलाज चल रहा है। प्रार्थीया का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड़ से दण्डनीय नहीं है, प्रार्थीया महिला होकर उसे गिरफ्तार कर लिये जाने पर उसकी मान प्रतिष्ठा कम होगी, प्रार्थीया अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगी, न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो की अक्षरशः पालना करने को तत्पर है। अन्त में प्रार्थीया को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। समर्थन में निम्न न्यायिक विधि--एस.बी.क्रिमि.मिस.बेल एप्लीकेशन नंबर-6882/2026, दिलीप कुमार बनाम राज०राज्य आदेश दिनांक 16.06.2026 पेश की गई।

इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध कर प्रार्थीया/अभियुक्त पर गंभीर अपराधों का आरोप होना बताते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षीय तर्को पर मनन किया एवं केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जहां तक प्रार्थीया के पति व सह अभियुक्त दिलीप को माननीय राज०उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.क्रिमि.मिस.बेल एप्लीकेशन नंबर-6882/2026, दिलीप कुमार बनाम राज०राज्य आदेश दिनांक 16.06.2026 से जमानत का लाभ दिये जाने का प्रश्न है, विचारण में समय लगने की संभावना के मद्देनजर जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। जबकि केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट है कि केस डायरी के अवलोकन से यह

जाहिर है कि प्रकरण में परिवादिया के साथ अभियुक्त पक्ष द्वारा 18,00,000/-रुपये में मकान का सौदा निश्चित कर बैंक का लोन होना बताकर बैंक से दस्तावेज प्राप्त कर पंजीयन कराना तय करते हुये 500/-रुपये के एक स्टाम्प पर इकरारनामा निष्पादित कर सांई पेटे एवं दलाली स्वरूप अभियुक्त पक्ष द्वारा परिवादिया से राशि प्राप्त कर उक्त इकरार की पालना नहीं करते हुये छल-कपट व धोखाधडी कर परिवादिया के रुपये हडप लिये। केस डायरी के साथ प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्लाट संख्या 14 पर बैंक रिकॉर्ड के अनुसार बैंक में गिरवी होकर लोन राशि बकाया होने के बावजूद प्रार्थीया/आरोपी व उसके पति दिलीप कुमार द्वारा उक्त प्लाट का बैचान इकरारनामा निष्पादित कर छल-कपट करते हुये राशि 10,30,000/-रुपये परिवादिया से प्राप्त कर ली गई, जबकि बैंक द्वारा उक्त प्लाट को अधिग्रहण कर नीलामी में राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल चोरडिया निवासी भदादा बाग गुलाबपुरा को बैचान कर दिया गया था, इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीया के विरूद्ध अपराध धारा 318(4), 316(2) बी.एन.एस. के गंभीर प्रकृति के आरोप बताये गये है। प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया/अभियुक्त से अनुसंधान कर बरामदगी किया जाना शेष बताया गया है जिससे प्रार्थीया द्वारा अनुसंधान में सहयोग नहीं करना प्रकट होता है। ऐसे में प्रार्थीया को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो प्रार्थीया द्वारा अनुसंधान व गवाहान को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हेतु प्रार्थीया को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीया/अभियुक्त श्रीमती आनन्दी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(विनोद कुमार वाजा)

आदेश आज दिनांक 13-08-2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार वाजा)